न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
01/2025	FSS ACT	15.01.2025	28.01.2026

1. श्री देवेन्द्र सिंह राणावत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर

–आवेदक

बनाम

1 दीपक शर्मा पुत्र श्री संतोष शर्मा उम्र 60 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता/मालिक) मो नं 9057295697 मैसर्स शास्त्री डेयरी, लक्ष्मी आइस परिसर, चौपडा मन्दिर के पीछे उमानगर धौलपुर राजस्थान निवासी शास्त्री गली, धूलकोट धौलपुर राजस्थान

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii)/51 व 54 ,एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 28.01.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह राणावत (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51 व 54 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 28.06.2024 को बाद 03:00 पीएम बजे मुस्तगीस बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित जांच दल के साथ मैसर्स शास्त्री डेयरी, लक्ष्मी आइस परिसर, चौपडा मन्दिर के पीछे उमानगर धौलपुर राजस्थान स्थित पनीर निर्माण एवं विक्रय इकाई पर पहुंचा। उक्त समय उक्त स्थल पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता/मालिक दीपक शर्मा पुत्र श्री संतोष शर्मा स्वयं मौजूद रहकर खाद्य पदार्थ आमजन को बिक्री वास्ते रखे हुए थे। मैने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम व पता पूछा जिस पर गवाहान की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा अपना नाम दीपक शर्मा पुत्र श्री संतोष शर्मा उम्र 60 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता) मो नं 9057295697 मैसर्स शास्त्री डेयरी, लक्ष्मी आइस परिसर, चौपडा मन्दिर के पीछे उमानगर धौलपुर राजस्थान निवासी शास्त्री गली, धूलकोट धौलपुर राजस्थान का होना बताया एवं स्वयं को उक्त खाद्य कारोबार का मालिक होना बताया एवं मौके पर विक्रेता द्वारा अपने व स्वयं के आधार कार्ड व खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। उक्त इकाई का निरीक्षण करने पर निरीक्षण के दौरान उक्त ईकाई पर कुल 4–4 किलो की कुल 200 पनीर की गांठें/ब्लॉक्स कुल वजन लगभग 800 किलो पनीर 05 डीप फ्रीज

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

में आमजन को बिक्री वास्ते रखे पनीर में मिलावट का शक होने पर गवाहान की उपस्थिति में विक्रेता दीपक शर्मा पुत्र श्री संतोष शर्मा को जरिये फार्म नं 5 ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वयं के हस्ताक्षर है) सूचित करते हुए उक्त में से 1 किलो के एक गांठ को खुलवाकर वास्ते नमूना जांच हेतु एक साफ सूखी एवं खाली स्टील की ट्रे में क्रय किया जिसकी कीमत विक्रेता को रू 190/– (अक्षरे एक सौ नब्बे रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वयं के हस्ताक्षर है। फार्म नं 5 ए एवं रसीद माल खरीद न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 01 किग्रा पनीर का बारीक चूरा कर विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा पनीर को प्रत्येक बोतल में बराबर भरकर प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलिन की 20–20 बूंद डालकर एयरटाइट ढक्कन बंद किया लेबल तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर व आवदेक ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाकर प्रत्येक बोतल को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड एवं सीरीयल नं डी–3207 जो श्रीमान डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी धौलपुर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों बोतलों पर नीचे से ऊपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व आवेदक ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहान को पढाकर, सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदन ने स्वयं हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मौके पर ही शेष बचे पनीर (जो कि सेपरेटा दूध व पॉम ऑयल से निर्मित है व बदबूदार होने से) को खाद्य कारोबारकर्ता की सहमति से अलग से मौका फर्द तैयार कर नष्ट कराया गया जो कि मूल ही संलग्न है। कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने की एक सील्ड बोतल मय फार्म सं. 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं 6 की पुश्त पर रसील प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने की दो सील्ड बोतल (द्वितीय व तृतीय भाग) को मय फार्म नं 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने की एक सील्ड बोतल (चतुर्थ भाग) मय फार्म नं 6 की प्रति के श्रीमान डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। उक्त पनीर के नमूने की जांच रिपोर्ट उक्त विक्रेता को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 244 दिनांक 23.07.2024 द्वारा भिजवायी गयी एवं मुझे जरिये श्रीमान डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानकों के अनुसार नहीं होने के अवमानक खाद्य पदार्थ Substandard व The sample is also food containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1)(i) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपरं अंकित अभियुक्त ने सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ Substandard व The sample is also food containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1)(i) पनीर का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 वं 54 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्त स्वयं उपस्थित। अभियुक्त ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अभियुक्त ने अपने जबाव में निवेदन किया है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी के विरूद्ध पनीर के सैंपल का प्रकरण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011 श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। उक्त सैंपल एफ0एस0एल0 की जांच रिपोर्ट के अनुसार सबस्टेण्डर्ड का होना पाया है। अप्रार्थी ने जानबूझकर अपने स्तर पर उक्त खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट नहीं की है। फिर भी अप्रार्थी प्रकरण में अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करता है। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अप्रार्थी जुर्माना जमा कराने को तैयार है। अतः प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें।

हमने पैरोकार सरकार व अभियुक्त को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली मे संलग्न **STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY JAIPUR (RAJ)** की **REPORT NO.L.S./2806/Act/2024/2638 DATE 08-07-2024** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

"Opinion- The sample of **'Paneer'** bearing code & serial No. **D-3207** of Designated Officer Cum Chief Medical & Health Officer, Dholpur is Sub-standard as the extracted fat does not conform to the standard of Milk fat as prescribed under food Safety and Standards (Food product standards and food additives) Regulations, 2011. **The sample is also food containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1)(i)** of food Safety and Standards act, 2006.

अप्रार्थी द्वारा Substandard व The sample is also food containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1)(i) पनीर का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैडर्ड पनीर बेचने का दोषी है जो धारा 51 वं 54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अतः अप्रार्थी दीपक शर्मा पुत्र श्री संतोष शर्मा उम्र 60 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता / विक्रेता / मालिक) मो नं 9057295697 मैसर्स शास्त्री डेयरी, लक्ष्मी आइस परिसर, चौपडा मन्दिर के पीछे उमानगर धौलपुर राजस्थान निवासी शास्त्री गली, धूलकोट धौलपुर राजस्थान के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 75000/–रुपये (पिचहत्तर हजार रू0) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक **28.01.2026** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.1.26

(हरि राम मीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)